रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 1983/श्रावण 13, 1905

No. 336] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 1983/SRAVANA 13, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1983

का०आ० 552 (अ)/18/एफ/आई डी आर ए/83.—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 422(अ), तारीख 5 अगस्त, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मैसर्स ऐंजिल इंडिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध 5 अगस्त, 1975 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए, प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने अपने आदेश सं० का०आ० 292 (अ), तारीख 16 मई, 1979 द्वारा सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) पूर्वोक्त व्यक्तियों के निकाय से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 5 अगस्त, 1975 से पांच वर्ष की शेष अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 4 अगस्त, 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे प्रभावी बने रहने के लिए समय समय पर निदेश जारी किए थे [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 603 (अ), तारीख 1 अगस्त, 1980 का०आ० 620(अ), तारीख 3 अगस्त, 1981, का०आ० 554(अ), तारीख 4 अगस्त, 1982 और का०आ० 87(अ), तारीख 4 फरवरी, 1983];

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास 31 मई, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बना रहे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उस प्रभाव की अनुज्ञा के लिए निवेदन करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 22 जुलाई, 1983 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मई, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए, प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 2(17)/80-सी० यू० एस]

ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1983

S.O. 552(E)|18FA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 422(E), dated the 5th August, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over management of the Industrial Undertaking known as the Messrs Engel India Machine and Tools Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of 5 years from the 5th August, 1975 ;

And, whereas, the Central Government in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) in its Order No. S.O. 292(E), dated the 16th May, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department of the Government of West Bengal, now-called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the said industrial undertaking from the aforesaid body of persons for the remaining period of five years from the 5th August, 1975 ;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 4th August, 1983 [vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. 603(E) dated the 1st August, 1980; S.O. No. 620(E), dated the 3rd August, 1981; S.O. 554 (E), dated the 4th August, 1982 and S.O. 8/(E), dated the 4th February, 1983];

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking for a further period upto and inclusive of 31st May 1984, made an application to the Calcutta High Court praying for permission to that effect under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and that the said High Court has, by its Order dated the 22nd July, 1983, granted the said permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st May, 1984.

[F. No. 2(17)/80-C.U.S.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983